

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग-6
संख्या-300/2018/1223(घ)/पांच-6-2018-17(बजट)/18

लखनऊ : दिनांक : 13 सितम्बर, 2018

कार्यालय- जाप

वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत चिकित्सालयों में औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु औषधि मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष शासनादेश संख्या-248/2018/1223(ग)/पांच-6-18-17(बजट)/18 दिनांक 03.07.2018 द्वारा कुल धनराशि रू0-877.25 लाख की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मेडिकल सप्लाइज कार्पोरेशन लि0 के निवर्तन पर रक्षित की गयी है, जबकि उक्त शासनादेश दिनांक 03.07.2018 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 877.25 लाख महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ को आवंटित करते हुए उनके निवर्तन पर रक्षित किया जाना चाहिए था।

2- अतएव उक्त शासनादेश दिनांक 03.07.2018 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 877.25 लाख (रू आठ करोड़ सतहत्तर लाख पचीस हजार मात्र) को प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मेडिकल सप्लाइज कार्पोरेशन लि0 के स्थान पर महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के निवर्तन पर इस शर्त के साथ रखे जाने का निर्णय लिया गया है कि महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उक्त अवमुक्त धनराशि को उ0प्र0 मेडिकल सप्लाइज कार्पोरेशन लि0 को यथावश्यकतानुसार/नियमानुसार हस्तान्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3- अतः संदर्भित शासनादेश संख्या-248/2018/1223(ग)/पांच-6-18-17(बजट)/18 दिनांक 03.07.2018 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए। शासनादेश दिनांक 03.07.2018 की शेष शर्त/प्रतिबन्ध यथावत रहेंगी।

नर्वेद सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-300/2018/1223(घ)(1)/पाँच-6-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (2) महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (3) मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, 30प्र0 लखनऊ।
- (4) महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, 30प्र0, लखनऊ।
- (5) प्रबन्ध निदेशक, 30प्र0 मेडिकल सप्लाइज कार्पोरेशन लि0, 30प्र0 लखनऊ।
- (6) संबंधित कोषाधिकारी/कोषागार ।
- (7) निदेशक (चिकित्सा उपचार/भण्डार/पी0एच0सी0/सी0एच0सी0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, 30प्र0, लखनऊ।
- (8) निदेशक/वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, 30प्र0, लखनऊ ।
- (9) अपर निदेशक (नियोजन/बजट/विद्युत), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, 30प्र0, लखनऊ।
- (10) संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, 30प्र0, लखनऊ ।
- (11) संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी/ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ।
- (12) अधीक्षण/अधिशाली अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, 30प्र0, लखनऊ।
- (13) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/चिकित्सा अनुभाग-1/5/7, 30प्र0 शासन।
- (14) श्री अनिल कुमार त्रिपाठी, उप मुख्य चिकित्साधिकारी, (नोडल अधिकारी) सम्बद्ध उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज कार्पोरेशन लि0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
- (15) कार्यालय आदेश पुस्तिका।
- (16) प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।
- (17) विभागीय वेबमास्टर।

आज्ञा से,
हरनाम
उप सचिव।